भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3526
17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

समुद्री उपयोग वाली उत्पादों की कमी

3526. प्रो. सौगत रायः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि देश का मछुआरा समुदाय समुद्री उपयोग से जुड़ी उत्पादों की उपलब्धता की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष दर वर्ष समुद्री उपयोग से जुड़े उत्पादों की भारी कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण समुद्री उपयोग से जुड़ें उत्पादों की कमी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारी मशीनरी का उपयोग करके अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने रिपोर्ट किया है कि समुद्री मत्स्य संसाधनों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है और विगत दस वर्षों में भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन 28.78% से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में अनुमानित समुद्री मत्स्य उत्पादन 44.32 लाख टन रिपोर्ट किया गया है, जबकि भारतीय ईईजेड में अनुमानित संभावित उपज (एस्टिमेटेड पोटेन्शियल यील्ड) 53.1 लाख टन है । इसके अलावा, आईसीएआर-सेंट्रल मरीन फिशरीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई) द्वारा 2022 में प्रकाशित नवीनतम वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लगभग 91.1% समुद्री मत्स्य स्टॉक स्वस्थ स्थिति में हैं। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण समुद्री मत्स्य संसाधनों में अंतर-वार्षिक (इंटर ऐनुयल) अस्थिरता होती है, लेकिन विगत 5 वर्षों के दौरान समुद्री मत्स्य उत्पादन में स्थिर प्रवृत्ति रही है और समुद्री मत्स्य स्टॉक की 'तीव्र कमी' का कोई संकेत नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत सरकार के तत्वावधान में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए नियमित आधार पर अनुसंधान कर रहे हैं ताकि मात्स्यिकी और जलीय कृषि के लिए सतत (सस्टेनेबल), क्लाइमेट-रेसिलिएंट रणनीति विकसित की जा सके ।

(घ) और (ड) मैरीटाईम ज़ोन्स ऑफ इंडिया (रेगुलेशन ऑफ फिशिंग बाई फ़ॉरेन वेसल्स) एक्ट, 1981 और सभी समुद्री राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट्स जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रमशः विदेशी जहाजों और भारतीय जहाजों द्वारा आईयूयू फिशिंग के कुछ रूपों को रोकने के लिए विद्यमान हैं। इसके अलावा, देश में समुद्री उत्पादों के उत्पादन को जिम्मेदार और सतत (सस्टेनेबल) मत्स्यन प्रथाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासनों, अन्य हितधारकों के साथ घनिष्ठ समन्वय में मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मछुआरों और मत्स्य किसानों की सहायता करके बढ़ावा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा 'नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज़, 2017' को अधिसूचित किया गया है, जो मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और इष्टतम उपयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। इसके अलावा, तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जुवेनाइल फिशिंग को रोकने और विनाशकारी फिशिंग प्रेक्टीसेस जैसे कि पैयर्ड बॉटम ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग और फिशिंग के लिए आर्टिफ़िश्यल या एलईडी लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सलाह भी जारी की गई है। इसके अलावा, मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन के लिए और समुद्री सुरक्षा कारणों से भी पूर्वी तट पर 15 अप्रैल से 14 जून तक और पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई तक 61 दिनों की अवधि के लिए भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्यन पर एक समान प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) मछुआरों को एफएओ-सीसीआरएफ (कॉड ऑफ कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज़) के बारे में शिक्षित करने और इल्लीगल, अनरिपोरटेड और अनरेगुलेटेड (आईयूयू) फिशिंग को रोकने के लिए देश भर के तटीय मत्स्यन गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

******